न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 1377/2017 प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

अनवान

1. कमला पत्नि रूपलाल रेगर निवासी कांगणी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्रार्थीया

बनाम

1. रतनलाल पिता उदयलाल जाट निवासी कांगनी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. मोहनलाल गोदपुत्र हेमा जाट निवासी तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. बैंक ऑफ बरोदा शाखा प्रबंधक शाखा गंगापुर

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–13.12.2019

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कांगणी, पटवार क्षेत्र कांगणी तह. सहाडा में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की आराजी संख्या 604 रकबा 0.43 है. जिसकी नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 की प्रस्तुत है। इसी प्रकार विपक्षीगण की खातेदारी की आराजी नं0 605/2 रकबा 1.40 हे0 स्थित है जिसके लिए राजस्व जमाबंदी नकल संवत् 2070 से 2073 प्रस्तुत है।

प्रार्थीया की आराजियात में आवागमन का कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में नहीं है। प्रार्थीया हमेशा ही अपने आराजी में संज बैलगाड़ी से विपक्षी मोहनलाल, रतनलाल की आराजी संख्या 605/2 में से आवगमन करती आ रहा हैं। विपक्षीगण की आराजी संख्या 605/2 की पश्चिमी मेड पर आवागमन के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तथा उक्त रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुगम रास्ता है।

यह की प्रार्थीया विपक्षीगण की आराजी संख्या 605/2 से आवागमन करती आ रही है जिसके पूर्व खातेदार मांगी बेवा उदयराम जाट ने प्रार्थीया के पक्ष में इकरार भी लिपिबद्ध कर रखा है। प्रार्थीया को आवागमन करने का अधिकार दिया जिससे भी विपक्षीगण पाबंद है तथा विपक्षीगण को प्रार्थीया को रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन राजस्व अभिलेखो में रास्ता दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन बाधा पैदा करता है रास्ता बंद करने की धमकिया देता है। जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजीयात सं0 604 में आवागमन के लिए विपक्षी की आ0सं0 605/2 रकबा 1.40 हे0 के पश्चिमी मेड पर उत्तर से दक्षिण 10 फिट चौड़ा रास्ता उत्तर से दक्षिण सम्पूर्ण लम्बाई में दिलाया जाना आवश्यक न्यायोचित है रास्ते को बिलानाम रास्ता दर्ज करना आवश्यक है जिसका नज़री नक्शा भी पेश है।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 605/2 रकबा 1.40 हे0 में से पश्चिमी मेड पर उत्तर से दक्षिण दस फिट का रास्ता आवागमन के लिए दिलाया जावे व नक्शें में रास्ता फीट करके बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावें।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नं. 2 व 3 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 06.12.2019 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसार ग्राम कांगणी प0ह0 कांगणी के आराजी नं0 605/2 रकबा 1.40 है0 में कोई रास्ता नहीं है। मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है एवं रास्ते के निशानात भी नही है। मौका स्थिति अनुसार कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह कि मौतबिरान एवं खातेदार रतनलाल पिता उदयराम जाट के बताये अनुसार ग्राम कांगणी के आराजी नं0 1962 व 1964 बिलानाम रास्ते से होकर आराजी नं0 621 से 620 की पूर्वी मेड पर होकर आराजी नं0 620 व 619 की उत्तरी मेड से होकर आराजी नं0 602, 603, 604 में जाते है।

यह है कि प्रार्थीया के अनुसार रास्ता आराजी नं0 605/2 में ही चाहती है, वादीया द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी नं0 605/2 रकबा 1.40 है0 में होकर उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है। रास्ते हेतु उक्त आराजी में से 20 फीट चौड़ा व 152 मीटर लम्बा रास्ता जिससे कुल 0.09 है0 भूमि प्रभावित होती है। ग्राम कांगणी की असिंचित पास की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 254202/– प्रति हैक्टयर है। जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रभावित 0.09 है0 भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 22879/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 45758/– होती है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व पेरोकार सरकार को नजने आम में सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैंने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीया व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम कांगणी प0ह0 कांगणी के आराजी नं0 605/2 रकबा 1.40 है0 में कोई रास्ता नहीं है। मौके पर वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है एवं रास्ते के निशानात भी नहीं है। मौका स्थिति अनुसार कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह कि मौतबिरान एवं खातेदार रतनलाल पिता उदयराम जाट के बताये अनुसार ग्राम कांगणी के आराजी नं0 1962 व 1964 बिलानाम रास्ते से होकर आराजी नं0 621 से 620 की पूर्वी मेड पर होकर आराजी नं0 620 व 619 की उत्तरी मेड से होकर आराजी नं0 602, 603, 604 में जाते है। प्रार्थीया के अनुसार रास्ता आराजी नं0 605/2 में ही चाहती है, प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी नं0 605/2 रकबा 1.40 है0 में होकर उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है। रास्ते हेतु उक्त आराजी में से 20 फीट चौड़ा व 152 मीटर लम्बा रास्ता भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम कांगणी की आराजी संख्या 605/2 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम कांगणी की आ. न. 605/2 की पश्चिमी मेड उत्तर से दक्षिण 20 फीट चौड़ा व 152 मीटर रास्ता यानी 0.09 है0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 254202/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 22879/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 45758/–प्रार्थी विपक्षीगण खातेदार न. 1 व 2 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.09 हैक्ट. भूमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 45758/– प्रार्थी से वसुल कर विपक्षीगण नं0 1 व 2 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम कांगणी की आ. न. 605/2 की पश्चिमी मेड उत्तर से दक्षिण 20 फीट चौड़ा व 152 मीटर रास्ता यानी 0.09 है0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शे में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद तकमील रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.12.13 15:55:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: